

अनुसूची 2
[विनियम 5(1)(iii) देखें]

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना – FCNR(B) Account

1. पात्रता

ए) अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति(PIOs) किसी भी प्राधिकृत व्यापारी के पास इन खातों को खोलने और इन्हें रखने के लिए पात्र हैं।

बी) इन खातों को भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल से विप्रेषित निधियों अथवा भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे अनिवासी बैंक खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार प्रत्यावर्तनीय स्वरूप की निधियों से खोला जा सकता है। मौजूदा अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना में से निधियों का अंतरण करते हुए भी इन खातों को खोला जा सकता है।

सी) इन खातों को खोलने अथवा इनमें जमा करने के लिए भारत के बाहर से विप्रेषण उस नामित करेंसी में होने चाहिए जिसमें खाता खोला / रखा जाना है।

इस बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विप्रेषण नामित करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में प्राप्त होता है (अनिवासी बैंक के खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों सहित) तो प्राधिकृत व्यापारी को चाहिए कि वह उसे विप्रेषणकर्ता के जोखिम और लागत पर नामित करेंसी में परिवर्तित करे और केवल नामित करेंसी में ही खाता खोला जाना चाहिए / खाते में राशि जमा की जानी चाहिए।

डी) यदि नामित करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में जमाकर्ता रकम इन खातों में जमा करना चाहता है तो प्राधिकृत व्यापारी वांछित नामित करेंसी पर जमाकर्ता के साथ पूर्णतः रक्षित स्वाप कर सकता है। ऐसा स्वाप दो नामित करेंसियों के बीच भी किया जा सकता है।

2. नामित करेंसी

इन खातों में जमा करने के लिए निधियां ऐसी अनुमत करेंसी(मुद्रा) में स्वीकार की जा सकती हैं जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।

3. खाते का प्रकार

इन खातों को केवल उन अवधि की मीयादी जमा के रूप में खोला जा सकता है जिन्हें समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. ब्याज दर

इन जमा खातों में रखी निधियों पर ब्याज दर रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

5. अनुमत नामे / जमा

अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी बाह्य/विदेशी खातों के संबंध में अनुमत सभी नामे / जमा इन खातों के लिए भी स्वीकार्य होंगी / अनुमत होंगी।

6. रुपये को नामित करेंसियों में और नामित करेंसियों को रुपये में परिवर्तित करने के लिए दर

i) इन खातों को खोलने के लिए भारतीय रुपये में प्राप्त विप्रेषणों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित विदेशी करेंसी में परिवर्तन की तारीख को उस करेंसी के लिए प्रचलित निर्बंध टी.टी. बिक्री दर पर परिवर्तित किया जाएगा।

ii) रुपये में भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, इन खातों में रखी निधियों को आहरण की तारीख को संबंधित करेंसी के लिए प्राधिकृत व्यापारी की निर्बंध टी.टी. क्रय दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।

7. निधियों का अंतर्देशीय चलन

इन खातों को खोलने के प्रयोजन एवं इन खातों में रखी शेष राशियों को भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए निधियों का कोई भी अंतर्देशीय चलन अनिवासी जमाकर्ताओं के लिए अंतर्देशीय विनिमय अथवा कमीशन से मुक्त होगा। इन खातों में विदेशी करेंसी विप्रेषणों को प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी, अनुरोध किए जाने पर, विप्रेषक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्राप्त विदेशी करेंसी उस अन्य प्राधिकृत व्यापारी को अंतरित कर सकता है जिसके पास खाता खोला जाना हो।

8. ब्याज के भुगतान का तरीका

(i) जमाकर्ता की इच्छानुसार इन खातों में धारित शेषराशियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

(ii) ब्याज को खाताधारक की इच्छानुसार उसके नाम के FCNR(B) खाते अथवा मौजूदा / नये अनिवासी बाह्य (विदेशी) / अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है।

9. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण/ओवरड्राफ्ट

(1) एनआरई जमाराशियों की जमानत पर भारत में जमाकर्ता एवं तीसरे पक्ष को ऋणों और ओवरड्राफ्टों तथा भारत के बाहर ऋण देने के लिए लागू शर्तें (अनुसूची 1 देखें) आवश्यक परिवर्तनों सहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

(2) जमाराशियों की रुपये में समतुल्य राशि पर आनुमानिक रूप से मार्जिन संबंधी आवश्यकता को परिकलित किया जाएगा।

10. खाताधारक की निवासी हैसियत में परिवर्तन

जब खाताधारक भारत का निवासी बन जाता है, तब उसकी इच्छानुसार जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक संविदागत ब्याज-दर पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर यथा लागू ब्याज-दर तथा आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी जमाराशियों को खाताधारक की भारत में वापसी की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा। प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे उक्त विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के परिपक्व होने पर उन्हें खाताधारक के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खाते में अथवा निवासी विदेशी मुद्रा खाते में (यदि जमाकर्ता निवासी विदेशी करेंसी खाता खोलने के लिए पात्र है) परिवर्तित करें। नयी जमाराशि (रुपया खाता अथवा निवासी विदेशी मुद्रा खाता) पर ब्याज ऐसी जमाराशियों पर यथा लागू संगत दरों पर देय होगा।

11. संयुक्त खाता, शेषराशियों का प्रत्यावर्तन, अदि

(1) संयुक्त खातों, निधियों के प्रत्यावर्तन, अस्थायी विज़िट के दौरान खाता खोलने, मुख्तारनामे के द्वारा परिचालन, खातों में रखी निधियों की जमानत पर ऋणों/ओवरड्राफ्टों से संबंधित अनिवासी बाह्य(विदेशी) खातों पर यथा लागू शर्तें (अनुसूची 1 देखें) आवश्यक परिवर्तनों सहित विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)(FCNR(B)) खातों पर भी लागू होंगी।

(2) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की परिपक्वतागत आगम राशि को भारत से बाहर तीसरे पक्ष को विप्रेषित करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते खातेधारक द्वारा इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा प्राधिकृत व्यापारी ऐसे लेनदेन की सदाशयता से संतुष्ट हो।

12. रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशानुसार इन खातों से होने वाले लेनदेनों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जाएगी।

13. अन्य विशेषताएं

ए) रिज़र्व बैंक इन खातों में रखी किसी भी परिपक्वता की जमाराशियों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को विनिमय-दर की गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

बी) इन खातों के जरिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जुटाये गये संसाधनों से दिए गए उधार पर ब्याज-दरों के संबंध में कोई विनिर्देशन नहीं है।